



कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर ४००४०

फोन नं.-०७८५३२२००२२, फैक्स नं.-०७८५३२२००१९, Email Id- bijapur.cg@nic.in

// प्रेस विज्ञप्ति //

क्रमांक/ ३२३ /कले./वि.लि./भर्ती/2023

बीजापुर, दिनांक २५/०५/२०२३

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ ४-०४/२०२३/सात-२ नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ०९ मई २०२३ द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत स्वीकृत सेटअप के अनुसार कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर के राजस्व विभाग के अंतर्गत (कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर/अनुभाग/तहसील कार्यालय) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (सहायक ग्रेड-०३, स्टेनो टायपिस्ट, भूत्य अर्दली, चौकीदार, फराश) रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने हेतु दिये गये निर्देश के पालन में योग्यता धारित करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से दिनांक २५/०५/२०२३ से २०/०६/२०२३ सायं ०५.३० बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

विज्ञापन की विस्तृत विवरण जिले के वेबसाइट www.bijapur.gov.in एवं जिला कार्यालय बीजापुर के सूचना पटल में भी अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा।

कलेक्टर

जिला-बीजापुर

बीजापुर, दिनांक २५/०५/२०२३

पृ. क्रमांक/ ३२३ A/कले./वि.लि./भर्ती/2023

प्रतिलिपि :-

१. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क अधिकारी बीजापुर को सूचनार्थ। स्थानीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
२. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. को जिले के वेबसाइट में उपलोड कराने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर

जिला-बीजापुर



कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर ४०८०

फोन नं.-07853220022, फैक्स नं.-07853220019, Email Id- bijapur.cg@nic.in

//विज्ञापन//

क्रमांक / ३२२ / कले./वि.लि./भर्ती/ २०२३

बीजापुर, दिनांक २५/०५/२०२३

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ ४-०४/२०२३/सात-२ नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ०९ मई २०२३ द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत स्वीकृत सेटअप के अनुसार कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर के राजस्व विभाग के अंतर्गत (कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर/अनुभाग/तहसील कार्यालय) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (सहायक ग्रेड-०३, स्टेनो टायपिस्ट, भूत्य, अर्दली, चौकीदार, फर्राश) रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के रथानीय निवासी उम्मीदवारों से दिनांक २५/०५/२०२३ से २०/०६/२०२३ को सायं ०५.३० वजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	अनारक्षित (UR)					अ.ज.जा. (ST)					अ.जा. (SC)					अ.पि.वर्ग (BOC)					महायोग
			मु	म.	भू	दि	यो	मु	म	भू	दि	यो	मु	म	भू	दि	यो	मु	म	भू	दि	यो	
१	सहाय्य ग्रेड ३	वेतनमान ५२००-२०२००+१९०० ग्रेड, वेतन लेवल-४	०	०	०	०	०	११	६	२	२	२१	१	०	०	०	१	३	०	०	०	३	२५
२	टेली टायपिस्ट	वेतनमान ५२००-२०२००+१९०० ग्रेड, वेतन लेवल-४	१	०	०	०	१	६	२	०	०	८	१	०	०	०	१	२	०	०	०	२	१२
३	याहन चालक	वेतनमान ५२००-२०२००+१९०० ग्रेड, वेतन लेवल-४	०	०	०	०	०	५	०	०	०	५	०	०	०	०	०	१	०	०	०	१	६
४	भूत्य	वेतनमान ४७५०-७४४०+१३०० ग्रेड, वेतन लेवल-१	०	०	०	०	०	७	३	१	१	१२	१	०	०	०	१	१	०	०	०	१	१४
५	अर्दली	वेतनमान ४७५०-७४४०+१३०० ग्रेड, वेतन लेवल-१	०	०	०	०	०	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१
६	चौकीदार	वेतनमान ४७५०-७४४०+१३०० ग्रेड, वेतन लेवल-१	०	०	०	०	०	३	०	०	०	३	०	०	०	०	०	१	०	०	०	१	४
७	फर्राश	वेतनमान ४७५०-७४४०+१३०० ग्रेड, वेतन लेवल-१	०	०	०	०	०	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०	१	०	०	०	१	२
योग:-			१	०	०	०	१	३४	११	३	३	५१	३	०	०	०	३	९	०	०	०	९	६४

टीप :- रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी किया जा सकता है।

2. न्यूनतम शैक्षणिक / अन्य अर्हता :—

सहायक ग्रेड-03 पद हेतु:-

- मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हायर सेकेण्डरी 10+2 उत्तीर्ण

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण।

- कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा गति होनी चाहिए।
- मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा गति होनी चाहिए।

टीप:-

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-4/2015/1/3, दिनांक 23.01.2015 के अनुसार सहायक ग्रेड-03 के पदों पर नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर संबंधी अर्हता हेतु छ.ग. शासन तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को मान्यता प्रदान की गई हैं :—

- मान्यता प्राप्त आई.टी.आई.से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
- वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।
- DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

3. स्टेनो टायपिस्ट पद हेतु:-

- मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हायर सेकेण्डरी 10+2 उत्तीर्ण

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण।

- मान्यता प्राप्त संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सापटवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी) का प्रमाण पत्र।
- मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा गति होनी चाहिए।
- हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी) उपरोक्त अर्हता में कम्प्यूटर विषय से संबंधित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-4/2015/1/3 दिनांक 23.01.2015 द्वारा नियत संस्था मान्य होगी।

टीप-

4. वाहन चालक पद हेतु :-

- मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैद्य ड्रायविंग लाईसेंसधारी हो। (फोर व्हीलर)

८

5. चतुर्थ श्रेणी, भूत्य, अर्दली, चौकीदार, फर्राश पद हेतु:-

- मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।

जिन आवेदकों को ४०ग० शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली पांचवी/आठवीं परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेडेशन दिया जाना निर्धारित है, ऐसे आवेदकों को आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा। ग्रेड से प्रतिशत की गणना नीचे दर्शाए अनुसार की जायेगी:-

प्राप्तांक का औसत प्रतिशत		
ग्रेड	अंकों का प्रतिशत	प्रतिशत
A	81-100	90%
B	66-80	72%
C	51-65	58%
D	36-50	43%

- यदि अंकसूची में ग्रेड एवं अंक दोनों अंकित है तो प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत निर्धारित की जायेगी।

6. नियम एवं शर्तें :-

- विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। जिसे बढ़ाया/अथवा कम किया जा सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है।
- उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली नियुक्तियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक १९६६८/२०२२ के अंतिम आदेश अध्यधीन होगी।
- जो उम्मीदवार समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची के साथ आवेदन करेगा, उसे नोटरी द्वारा सत्यापित १० रूपये के स्टाम्प पैपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की घोषणा करना होगा की उनके द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व के वर्षों में किसी भी बोर्ड/संस्था से योग्यता उत्तीर्ण नहीं की गई है। कार्यालय के संज्ञान में आने पर तथा जांच में इसकी पुष्टि होने पर पूर्व के वर्ष में उत्तीर्ण होते हुये भी केवल नियुक्ति पाने के प्रयोजन से उम्मीदवार के द्वारा समतुल्यता प्रमाण पत्र उत्तीर्ण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे उम्मीदवार का आवेदन पत्र अथवा नियुक्ति आदेश निरस्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

7. आयु सीमा :-

- दिनांक ०१.०१.२०२३ की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम १८ वर्ष एवं अधिकतम ३५ वर्ष होना चाहिये। ४०ग०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ ३-२/२०१५/१-३ अटल नगर, रायपुर दिनांक ३०.०१.२०१९ के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयुसीमा (३५ वर्ष) में ०५ की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ५ वर्ष, महिलाओं के लिए १० वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट ४५ वर्ष से अधिक नहीं होगी। दिव्यांगजन उम्मीदवार को ३ वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट ४५ वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।

उच्चतर आयु सीमा में ४०ग०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी। यदि उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है, तो संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

8. चयन की प्रक्रिया:-

1. **तृतीय श्रेणी**— सहायक ग्रेड-03, स्टेनो टायपिस्ट के पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 80 प्रतिशत भार तथा अनुभव के लिए 20 अंक के कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा। चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के निर्धारित कुल अंक में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन में विचार योग्य होंगे। उससे कम अंक प्राप्त करने वाले विचार योग्य नहीं होंगे। कौशल परीक्षा हेतु रिक्त पदों के प्रवर्गवार 1 अनुपात 5 के मान से उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जायेगा।
2. **वाहन चालक**— निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की प्राप्त अंकों की 80 प्रतिशत भार तथा अनुभव के लिए 20 अंक के कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा। चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
3. **चतुर्थ श्रेणी**— (भूत्य, अर्दली, चौकीदार, फर्राश) हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 80% भार एवं अनुभव के लिए 20 अंक के कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जायेगा। चतुर्थ श्रेणी हेतु कौशल परीक्षा नहीं लिया जायेगा।

9. **परिवीक्षा अवधि**— चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

- (i) चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में ३००००शासन, वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार निम्नुन्नासार स्टायपेण्ड देय होगा।

प्रथम वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।

- (ii) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

10. **अनर्हता**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-

- I) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- II) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

- III) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

- IV) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

11. **प्रतीक्षा सूची**— प्रतीक्षा सूची चयन सूची जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।

12 अन्य महत्वपूर्ण शर्तें / निर्देश / जानकारी:-

1. अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
2. विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन व विविध प्रवर्गों – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के संबंध में गामन द्वारा समय-समय पर निर्धारित व जारी किए गए आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट संकेत निर्दशों, नियमों व शर्तों का पालन किया जाएगा।
3. आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लेवें कि उन्हे आवेदित पद के लिए निर्धारित योग्यता अनुसार वे पात्र हैं अथवा नहीं यदि चयन या चयन उपरांत जानकारी असत्य पायी जाती है तो उनका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य है।
6. यांचित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की रव-प्रमाणित छायाप्रति सहित उम्मीदवार का आवेदन पत्र दिनांक 20/06/2023 को शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा कार्यालय कलेक्टर, बीजापुर, जिला बीजापुर (छ.ग.) पिन 494444 के पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए। विलय से प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
7. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम आवेदक का नाम एवं आवेदक का वर्ग एवं पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 05 रुपये का डाक टिकिट लगा हुआ 02 खाली लिफाफा (10×4) के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
8. एक से अधिक रिक्त पदों में भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक रूप से आवेदन जमा करना होगा।
9. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बाद में संलग्न करने हेतु कोई समय/मौका नहीं दिया जायेगा। आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा, तथा इस संबंध में दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।
10. उम्मीदवार को अपनी आयु समर्थन में जन्म प्रमाण पत्र/हाईस्कूल/पावडी की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा इस संबंध में दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।
11. किसी विवाहित महिला उम्मीदवारों द्वारा अपने नाम/उपनाम में परिवर्तन किया गया हो तो परिवर्तन संबंधी दस्तावेज/शपथपत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. अन्य शासकीय/अद्वं शासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
13. लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई धात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
14. शासन द्वारा भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो इस विज्ञापि में लागू होगा।
15. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जायेगी एवं ऐसे आवेदन अमान्य कर दिए जावेंगे।
16. दिव्यांग उम्मीदवार को दिव्यांगता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रतिशत 40 कम से कम होनी चाहिए।

17. प्रमाण पत्रों के सत्यापन के रागय आवेदक को अपना शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें एक का जन्म 26-01-2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
19. आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर अथवा रखप्रमाणित पासपोर्ट फोटो नहीं होने पर आवेदन अगान्य किया जायेगा। इस संबंध में कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।
20. सगान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
21. तृतीय श्रेणी के पदों लिए उम्मीदवारों की कौशल परीक्षा ली जावेगी। शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता की अंकसूची/प्रमाण पत्र (निवास/जाति) एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।
22. चयनित अभ्यर्थियों को जिला विकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति के एक गाह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर के सूचना पटल पर एवं जिले के वेबसाईट www.bijapur.gov.in पर भी देखा जा सकता है। कौशल परीक्षा की तिथि एवं अन्य भर्ती से संबंधित जानकारी भी विभागीय वेबसाईट में अवलोकन हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।
24. आवेदित पद हेतु अनुभव का अंक उसी पद से संबंधित विधिवत नियोक्ता से जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जायेगा।
25. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

कलेक्टर
जिला बीजापुर

१. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
२. आयुक्त वर्त्तर संभाग, जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
३. संचालक छ.ग. शासन जनसम्पर्क विभाग नवा रायपुर अटल नगर को विज्ञापन प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
४. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
५. सर्व संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
६. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बीजापुर की ओर सूचनार्थ। कृपया जिले के वेबसाईट में विज्ञापन अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
७. सर्व कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०)....., जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
८. सर्व कार्यालय तहसीलदार,जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
९. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, बीजापुर की ओर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
१०. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन जिला बीजापुर को सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
११. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिक परिषद, बीजापुर/नगर पंचायत भोपालपटनम, भैरमगढ़ को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
१२. सर्व कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,..... जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
१३. जिला सैनिक कल्याण वोर्ड, जिला वर्त्तर जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला बीजापुर

सहायक ग्रेड-03, स्टेनोटायपिस्ट, वाहन चालक, भूत्य, चौकीदार, अर्दली, फर्माश के पद
पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

नवीन
अनुप्राणित
पारापोट
फोटो
विषकायें

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में) | :— |
| 2. पिता / पति का नाम | :— |
| 3. जन्मतिथि (अ) अंको में
(ब) शब्दों में | :— |
| 4. (स) दिनांक 01.01.2023 को आयु | :—वर्षमाहदिन |
| 5. लिंग— (पुरुष / महिला / तृतीय लिंग) | :— |
| 6. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता | :— |

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 7. वर्तमान डाक का पूर्ण पता | :—
.....
.....
..... |
| 8. स्थायी डाक का पूर्ण पता | :—
.....
.....
..... |
| 9. दूरभाष/मोबाईल नंबर | :— |
| 10. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन

क्रमांक एवं दिनांक | :— |

11. क्या आप शासन द्वारा मान्य अज्ञा/अज्जा/अधिकारी के सदस्य हैं? यदि हां तो वर्ग लिखें :—.....
एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें :—.....
12. क्या आवेदक छ.ग.राज्य का मूल निवासी है? (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें) :—.....
13. निःशक्त आवेदक निःशक्ता का प्रकार एवं प्रतिशत :—.....
(जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) :—.....
14. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए
(अ) सेना का नाम, जिसमें कार्य किया गया है :—.....
(ब) कार्य की अवधि :—दिनांक से तक कुल अवधि
15. क्या आप विवाहित है? हां/नहीं
(अ) यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :—.....
(ब) जीवित संतान की संख्या :—.....
(स) यदि दो से अधिक जीवित संतान है, तब अंतिम संतान की जन्मतिथि :—.....
16. यदि आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत हो तो विवरण (नियोक्ता का अनापत्ति :—.....
प्रमाण पत्र संलग्न करें) :—.....
17. वाहन चालक पद हेतु हलके वाहन चलाने का स्थायी वैद्य ड्रायविंग लायर्सेंस का विवरण :—.....
18. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण :—01.....
02.03.....04.....
0506.....07.....
0809.....10.....

दिनांक :—.....

स्थान :—.....

घोषणा – पत्र

मैं एतद द्वारा घोषित करता/करती हूं कि इस विज्ञापित प्रपत्र में दिये गये शर्तों अनुसार तथा संलग्न अभिलेख मेरी प्रविष्टियां जानकारी सत्य है। यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पाई जाती है, तो मेरा आवेदन एवं चयन के उपरांत मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी। जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे नहीं होगा।

स्थान :—.....

दिनांक :—.....

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम एवं पूर्ण पता